न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा

वादी धनीराम vs भगवान दास

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

मुकदमा नम्बर 67/17 दाव

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार-2018

24/5/18 आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार कैम्प स्थल में पेश हुई। पक्षकारान हाजिर, अभिभाषक को गयी। वादी गण ग्राम पंच वाद छोड़ने को तैयार। लिखित में पाबन्द करने के सम्बन्ध में पेश किया है। पत्रावली का अवलोकन किया एवं चर्चा की गयी। मामला सीमाज्ञान का है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी ख.नं. 1456/374 रकबा 1.81 बिघा स्थित ग्राम जारड़ तहसील राजाखेड़ा का 1.57 बिघा आराजी न 374 रकबा 0.24 बिघा अलग आराजी के मौके पर जाकर पैमाइश कराकर पक्षकारान को सीमाज्ञान कराया जावे तहसीलदार राजाखेड़ा नीचे पैमाइश करावें। पक्षकारान को परिणाम स्पष्ट लिखित में पाबन्द किया गया है कि वे सीमाज्ञान के उपरान्त एक दूसरे के कब्जा काश्त में कोई हस्तक्षेप न करें न ही जबरन एक दूसरे की आराजी पर कब्जा करने का प्रयास करें। यदि रूपान्तरण आदेश का कोई इन्द्राज शेष है तो उसे भी किया जावे। पत्रावली पत्रावली कैम्प में सुरक्षित रखी जावे। तकमील आकिल अहल है।

उक्त सुनाया गया

उप खण्डाधिकारी
राजाखेड़ा